

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 618.29 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,18,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 4

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1229.66 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 से 6

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 533.29 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,33,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 से 8

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 819.77 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 10 से 11

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 से 13

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PMABHIM) हेतु ₹ 900.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 15

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 2688.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,88,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 17 से 19

सबके लिए आवास योजनान्तर्गत स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 4560.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 45,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 20 से 21

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए वृद्धि निगरानी उपकरण क्रय हेतु ₹ 62.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 22 से 25

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) योजना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 26 से 27

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत समूह दुर्घटना बीमा योजना हेतु ₹3.05 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 28

राज्य सहकारी विपणन संघ को कस्टम मिलिंग हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 996.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 29 से 35

1.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 7500.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 75,00,50,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 0.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 36 से 38

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹ 3334.00 लाख (केन्द्रांश 1667.00 लाख एवं राज्यांश 1667.00 लाख) का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 39

गिरौदपुरी जिला-बलौदाबाजार भाटापारा में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ₹ 175.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा स्मारक एवं संग्रहालय भवन निर्माण हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के कोचिंग भवन निर्माण हेतु ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42 से 43

केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 8850.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 88,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 44

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड हेतु अंशपूजी पर ₹1081.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 45

सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि व्ययों के भुगतान हेतु अनुमानित लागत ₹2450.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।